न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	82/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00167
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	19.10.2020
निर्णय दिनांक	12.05.2022

उनवान

1	जसवीरसिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	रविन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी

उपस्थित वकील प्रार्थीगण	श्री विजयकुमार टेलर
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पैरोकार सरकार श्री आशीष सोनी तहसीलदार आसीन्द

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त रेकार्डेड खातेदारी भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थीगण की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
साबदड़ा	2074 -2077	208	1077/383	0.365
			382	0.56
		207	367	0.23
			368	0.13

(2) प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
साबदड़ा	390 384	3.06 0.30	राजस्थान सरकार	प्रार्थीगण द्वारा सड़क से बिलानाम आ.नं.390 से होकर आ.नं.384 के उत्तरी कोने पर रास्ता चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.18 12:49:36 IST
Reason: SelfAttested

(3) प्रार्थीगण की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुतम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक के खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। भू.अ.निरीक्षक आमेसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2021 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

(5) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण / पैरोकार सरकार बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। भू.अभिलेख निरीक्षक कांवलास द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी /पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि आवेदित भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ते हेतु भू.अ.निरीक्षक कांवलास द्वारा प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट सत्य होकर उन्ही के अनुरूप आदेश पारित करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(6) भू.अ.निरीक्षक कांवलास ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु आवेदित बिलानाम भूमि आ.नं.384 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि की किस्म में 0.02 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु.नाली दर्ज रेकार्ड है किन्तु आवेदक द्वारा रास्ते हेतु आ.नं.384 के शेष रकबा 0.28 हैक्टर किस्म बीड़ में से चाहा गया है जो नाली के बहाव क्षैत्र में नहीं होकर पानी के बहाव मे कोई व्यवधान होना प्रतीत नहीं होता है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक कांवलास / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक कांवलास की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये भू.अ.निरीक्षक कांवलास द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के उपपंजीयक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि की दुगनी राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने बाबत् सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक कांवलास / संलग्न नक्शे के अनुसार निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी को उनके खाते में से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत (5x7)	भूमि की दुगनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है (8x2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	साबदड़ा	390 384	3.06 0.30	0.0704 0.0256	प्रार्थीगण द्वारा सड़क बिलानाम आ.नं.390 में से होकर आ.नं.384 के [illegible] कोने पर रास्ता चाहा गया है।	266913	25624	51248

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.18 12:49:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकार से दर्ज किये गये गै.मु. रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 12.05.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022/ 61 दिनांक 17.5.2022

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.18 12:49:36 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम- सावदड़ा
तह- आसीन्द
पैमाना
1cm=40 मी

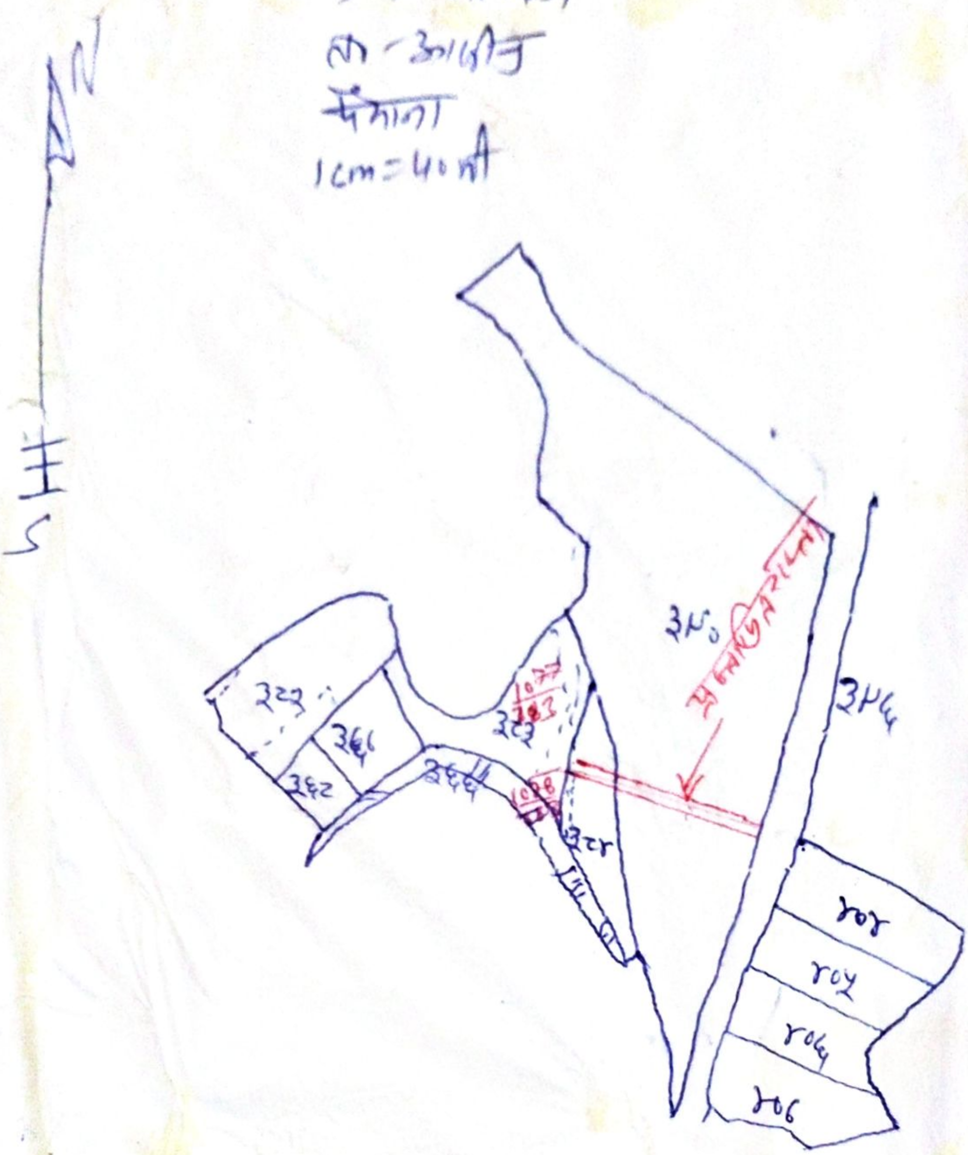

राजकार्य हेतु जारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.18 12:49:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा